न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)

वाद संख्या – 174/2014
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 18.2.19

1. रामचरन पुत्र सुखराम जाति बाहम्ण निवासी नूरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

– वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राम्हण निवासी नूरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. बेदप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति ब्राम्हण निवासी नूरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
4. सब रजिस्ट्रार नदबई

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1. श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट

निर्णय दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी. ए.

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बरान् 347 रकवा 0.38 हैक्टेयर वाके ग्राम नूरपुर तहसील नदबई स्थित जो संवत् 2060 से पूर्व का साबिक खसरा नं. 246 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से बना है तथा संवत् 2028 से पूर्व का साबिक खसरा नं. 134 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा था से बना है, इस संबंध में हाल जमाबंदी एवं नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2060 व नकल मिलान क्षेत्रफल 2028 तथा साबिक जमाबंदी पेश की गई। वादी के पिता सुखराम पुत्र छोट्या थे जो आराजी साबिक सं. 2028 से पूर्व का खसरा नं. 2 बीघा 7 बिस्वा के 1/4 हिस्से पर वादी के पिता खातेदार काश्तकार व काबिज थे। इस प्रकार के इन्द्राजात साबिक जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 के कॉलम नं. 5 में दर्ज है जो वादी के पिता सुखराम पुत्र छोट्या थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सुकराम पुत्र छोटया के तीन पुत्र रामचरन वादी, चौथी व मंगतू हुए। मंगतू लाबल्द बिला औरत फौत हो चुका है। विवादित आराजी वादी के पिता सुखराम पुत्र छोटया की कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर वादी पर पिता व पिताजी की मृत्यु के बाद वादी काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है। इस समय भी वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है। वादी ने अपने भाई चौथी को इस जमीन के बदले अपनी आबादी की जगह को अपने भाई चौथी के लिये देकर इस विवादित आराजी को मनवट से अपने हिस्से में ले लिया है। इस प्रकार विवादित आराजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर वादी के भाई चौथी का हक नहीं रहा है। सुखराम पुत्र गोरधन रेवन्यू कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी मुतदाबिया पर बादी के पिता सुखराम की बल्दियत छोटया के स्थान अपने पिता गोरधन के नाम का अंकन करा लिया है। इस प्रकार का अंकन सं. 2028 में बिना किसी आधा के सैटिलमेंट विभाग द्वारा कराया गया है, जो गलत है व कानून के खिलाफ है। कानूनन सैटिलमेंट विभाग को किसी की खातेदारी के इन्द्राजातों को बदलने का अधिकार नहीं है। सुखराम पुत्र छोट्या के हिस्से को बिलोपित कर दिया गया है जो गलत एवं खिलाफ कानून है। इससे वादी के हकूकों पर जबाल आने का अंदेशा है। इसलिए वादी अदालत श्रीमान् द्वारा हक इस तकरार पाने का हकदार है। इन गलत इन्द्राजातों की जानकारी नकल जमाबंदी लेने पर दिनांक 07.07.2014 को हुई। सुखराम पुत्र गोरधन ने इन गलत इन्द्राजों की आड में आराजी मुतनाजा को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से एवं बादी को उनके हिस्से से बेदखल करने के उद्देश्य से प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में कोई वसीयतनामा तहरीर करा दिया है जो बमुकाबले बादी बातिल बेअसर है तथा सुखराम पुत्र गोरधन द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के हक में किये गये बसीयतनामा को शून्य व प्रभावहीन घोषित करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने हाल रेवेन्यू रिकार्ड में हो रहे गलत इन्द्राजों की आड में आराजी मुतनाजा को खुर्द बुर्द करने के इरादे से तथा बादी को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी देते हैं। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा इस आशय की धमकी दिनांक 02.07.14 को दी है। यदि प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने इरादे में कामयाब हो गये तो वादी अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद न हो सकेगी। अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दाबामी की डिक्री से पाबंद करापाने का अधिकारी है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि वादी को आराजी मुतदाबिया दर्ज मद सं. 2 वाके ग्राम नूरपुर तहसील नदबई में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम हो रहे हैं। गलत इन्द्राजों को कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा हुक्म इम्तनाई दाबामी डिक्री वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण 1 व 2 को आराजी मुतदाबिया वाके ग्राम नूरपुर वादी के हिस्से से काश्त करने से न रोंकें व रहन व मुन्तकिल न करें।

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन एवं जरिये रजिस्टर्ड एडी़ से तलव किये गये। परन्तु प्रतिवादीगण स. 1 ,2 का अपूर्ण पता होने के कारण तामील नही हो सकी। प्रतिवादी स. 1 व 2 की भी पुनः तामील जरिये अखबार साया दैनिक नवज्योति से कराई गई। उसके बाबजूद भी प्रतिवादीगण न्यायालय उपस्थित नही हुऐ। तथा प्रतिवादी स. 3,4 तामील वावजूद भी उपस्थित नही हुये। तथा इनके खिलाफ एक तरफ कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादी द्वारा आपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सवत हाल 2068–2071 वाके ग्राम नूरपुर , नकल मिलान क्षेत्रफल सवत 2060 वाके ग्राम नूरपुर नकल जमाबंन्दी संवत 2028 वाके ग्राम नूरपुर , नकल जमाबन्दी संवत 2033 वाके ग्राम नूरपुर , नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम नूरपुर नकल जमाबंन्दी संवत 2017 लगायत 2020 वाके ग्राम नूरपुर पेश किये गये। एव मौखिक बयान के रूप मे रामचरन पुत्र सुखराम जाति ब्राम्हण निवासी नूरपुर एवं रामभरोसी पुत्र हरलाल जाति गर्जुर निवासी न्यौठा के पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने बहस एक तरफा सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त आराजी के साबिक ख.न. 347 रकवा 0.38 हैक्ट. वाके ग्राम नूरपुर पर हाल जमाबंन्दी संवत 2068–2071 पर प्रतिवादी स. 1 व 2 की खातेदारी का अंकन हो रहा है। नकल भू प्रबंध विभाग संवत 2028 में सुखराम पुत्र गौरधन 1/4 हिस्सा पर खातेदारी का अंकन किया हुआ है। नकल जमाबंन्दी संवत 2017 लगायत 20 में वादी के पिता सुखराम पुत्र छोटया दर्ज थे। नकल जमाबेन्दी संवत 2023 में सुखराम पुत्र गोरधन की खातेदारी का आंकन किया हुआ है। नकल जमाबंन्दी संवत 2028 में सुखराम बल्द छोटया व चौथी की खातेदारी का अंकन किया हुआ है। इस प्रकार भूप्रबंधक विभाग क्षरा संवत 2028 में वादी के पिता सुखराम की बल्दियत छोठया के स्थान पर अपने पिता गोरधन की खातेदारी का अंकन कर दिया गया। जो भू. प्रबंधक विभाग द्वारा बिना किसी आधार के कानून के विपरित सुखराम पुत्र छोटया के हिस्से को विलोपित कर दिया जो किया गया है। जो कि गलत है। तथा गलत अंकन के अधार पर सुखराम पुत्र गोरधन ने वादी के हिस्से का प्रतिवादी स. 1 व 2 के हक में एक वसीयत करा दी गई जिसका अंकन नकल जमाबंन्दी संवत 2023 में विशेष विवरण में इ.न.50 वसीयत से सुखराम के स्थान पर मालिकाना प्रकाश पि. सोहनलाल सा. देह दर्ज हुआ। जो कि बसीयत शून्य व प्रभावहीन है। इस प्रकार उक्त विवेचन के अधार पर वादी को वाद डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा न. 347 रकवा 0.38 वाके ग्राम नूरपुर तहसील नदबई पर प्रतिवादीगण स. 1 व 2 के नाम हो रहे खातेदारी इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नीरज कुमार मीना)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)